आओ किशोर न्याय बोर्ड को जानने का प्रयास करें।

किशोर न्याय बोर्ड क्या है ?

किशोर न्याय बोर्ड विधि से संघर्षरत बच्चों (जिन्होने नादानी में गलती कर दी है) को सुधार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए गठित एक मंडल है।

किशोर न्याय बोर्ड के गठन प्रक्रिया

किशोर न्याय बोर्ड का गठन राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से बाल अधिकारिता विभाग करवाता है।

किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या है ?

किशोर न्याय बोर्ड में 1 अध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट होते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कहा जाता है और इसके अलावा 2 सदस्य समाज के जागरूक नागरिक (सामाजिक कार्यकर्त्ता) बोर्ड में होते है, जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रुप में कौन-कौन आ सकते है ?

बोर्ड के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है, जो कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल संरक्षण, समाज कल्याण, विधि या मानव विकास क्षेत्र का अनुभव रखता हो।

विधि से संघर्षरत बच्चे कौन से होते है ?

ऐसे बच्चे जिन्होने किसी कारणवश कानून का उल्लघंन कर दिया हो या कोई अन्य व्यक्ति ने बच्चों को गैर कानूनी कार्य में लिप्त कर रखा हो। जैसे :- नशीले पदार्थों के व्यापार में लिप्त, चोरी करने में लिप्त, लड़ाई-झगड़े में लिप्त, हत्या, बलात्कार, डैकेती आदि कार्यो में लिप्तता हो, ऐसे बच्चे विधि से संघर्षरत या कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चे कहलाते हैं।

किशोर न्याय बोर्ड का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

किशोर न्याय बोर्ड का एक कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किसी भी व्यक्ति का बोर्ड में लगातार कार्यकाल दो बार से अधिक नहीं होता है।

किशोर न्याय बोर्ड को हम किस रुप में देखें ?

किशोर न्याय बोर्ड को विधि से संघर्षरत बच्चों को सुधारने के निर्णय करने की न्यायपीठ के रूप में देखते हैं।

किशोर न्याय बोर्ड बच्चों के लिए क्या कर सकता है ?

किशोर न्याय बोर्ड को विधि से संघर्षरत बच्चों को अस्थाई/स्थाई पुनर्वास, सुरक्षा, उपचार, विकास के अवसर एवं मनोरंजनात्मक कार्य करवाते हुए बाल मैत्री वातावरण में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के समस्त प्रकार के मामलों पर निर्णय, जॉच, निरीक्षण, निगरानी करवाने का कार्य करता है।

किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियाँ क्या है ?

किशोर न्याय बोर्ड को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (किशोर न्याय अधिनियम के तहत) के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रदत्त शक्तियाँ दी गई हैं ताकि विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रति न्याय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए।

किशोर न्याय बोर्ड के पास बच्चे को कौन पेश कर सकता है ?

बोर्ड के समक्ष बालकों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग के

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहा है और इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंद्वित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

आओ ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को समझें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति क्या है ?

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन कैसे होता है ?

ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सभा करें और उस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत से संबंधित सभी पदाधिकारी/जनप्रतिनिधि/गांव के नागरिक और गांव के अध्यनरत बालक/बालिकाओं को शामिल करें। बच्चों के मुद्दों पर चर्चा करके सरपंच, ग्राम पंचायत की उपस्थिति में ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जावे।

इस समिति का कार्यकाल

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

बैठक के लिए कोरम

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हैं। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निणर्य लेने की शक्ति होगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना क्या है ?

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य-सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा)	सदस्य
5.	बाल कल्याण अधिकारी, संबंधित पुलिस थाना	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के संबंध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो सबसे प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला) समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।	सदस्य

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य एवं भूमिका

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने गांव/पंचायत में सर्वे के माध्यम से श्रेणी अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें कानून से संघर्षरत/ कानून के सम्पर्क में आने वाले/ देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी हैं और साथ ही बच्चों से सम्बधित इन सूचनाओं से विभाग को समय-समय पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होगें:-

1. स्कूल नामांकन, बच्चों का नाम, लिंग अनुपात, नामांकन आयु, बच्चों का सर्वे करना, कार्य योजना तैयार करना, बच्चों का शिक्षा स्तर, गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
2. बच्चों से जूड़े कानून, नीति, परिपथ/आदेश, योजनाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं की जानकारी एकत्र कर उनका प्रचार-प्रसार करना, कार्यान्वयन, एंव मुल्याकंन करना।
3. बच्चों को बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, शरीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण आदि से मुक्त करने में सहायता प्रदान करना एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस को सूचित करना।
4. गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों, जन्म व मृत्यु दर रिकॉर्ड, ग्राम से गुमशुदा व गुमशुदा प्राप्त बच्चों की लिंग अनुसार, आंगनवाड़ी केन्द्र व स्कूल में नामाकिंत बच्चे, स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं गाँव में बच्चों को प्राप्त होने वाली सुविधओं का रिकॉर्ड संग्रहित करना।
5. समिति को पुलिस से उन सभी बच्चों का डेटा प्राप्त करना होगा जो बच्चे किसी कारण से कानून के साथ संघर्षरत/सम्पर्क में है जैसे चोरी, बाल अपराध, काइम, मार-पीट आदि।
6. समिति के क्षेत्र में आने वाले सभी अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिको के संदर्भ में यह जानकारी रखनी होगी कि वह सभी रजिस्टर्ड है और PCPNDT, DV का पालन कर रहें है या नहीं ?
7. गाँव में आंगनवाड़ी एवं स्कूल स्तर गटित सभी समितियों जैसे पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन/ मदर टीचर एसोसिएशन/ विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
8. समिति को प्रत्येक तीन माह में अपने क्षेत्र में हुये कार्यक्रम/प्रगति की रिपोर्ट पंचायत/बी. डी. ओ./सी. डी. पी. ओ./आई. सी. पी. एस./आर. एस. सी. पी. सी. आर. को भेजनी होगी। समिति को ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर ''बाल ग्राम सभा''की बैठकों का एक साल में दो बार आयोजन करना एंव समिति उक्त बाल ग्राम सभा में गाँव के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

बैठक

प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी आवश्यक हैं। समिति की बैठक पंचायत परिसर में पंचायत की मासिक बैठक या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती हैं। बैठक में प्रत्येक सदस्यों को स्पष्ट एजेंडा की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

1. समिति के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैटक नोटिस जारी कर सकता हैं।
2. सचिव और सदस्य मिटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एंव एजेंड़ा परिवर्तित नहीं करेगें।
3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता हैं जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहा है और इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंद्वित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

"हमारा राज्य कैसा हो, बाल श्रम मुक्त और बाल संरक्षण युक्त हो"

1974 की राष्ट्रीय बाल नीति में व्यवस्था हैं कि राज्य, जन्म से पहले और उसके बाद तथा विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों को उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए जिन उपायों का सुझाव दिया गया हैं उनमें व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं और बच्चों के लिए पोषण, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन गतिविधियों को प्रोत्साहन देना शामिल हैं। आज हमारे देश में करोड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय होटल, ढ़ाबों, दुकानों, कारखानों, घरों, खेतों में काम कर रहे हैं जो तमाम सरकारी प्रयासों को गलत साबित कर रहे हैं।

देश में 1.2 करोड़ से भी अधिक बालश्रमिक हैं और राजस्थान बालश्रम में तीसरे स्थान पर है यहां 12.60 (लाख) बाल श्रमिक हैं। एन.एस.एस.ओ. 2006 के आकंडो के अनुसार लगभग 22.8 प्रतिशत (34,88,000) बच्चें चाईल्ड लेबर पूल में है, यानी हर तीन बच्चों में से एक बच्चा अपने शिक्षा के सवैधानिक अधिकार से वंचित है।

इन मासूमों से 10 से 16 घटों तक लगातार काम लिया जाता है साथ ही इनका शारीरिक मानसिक एवं यौन शोषण भी किया जाता है। बालश्रम को रोकने के लिए बना बालश्रम प्रतिबंधित एवं विनियमन संशोधित अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी से पूर्णत: प्रतिबंधित करता है और 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यो को छोड़कर अन्य कार्यो को किसी ना किसी रूप में जायज ठहराता है।

वहीं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्णत: प्रतिबंधित करता है और अधिनियम की धारा 75 एवं 79 अपराध को गैर जमानती मानती है।

राजस्थान में बाल श्रमिक जैम पालिशिंग, नगीना-तराशना, आरी-तारी, होटल, ढाबों, चाय की दुकानों, घरेलू श्रमिक, ईंट-भट्टों, पत्थर खदानों, मोटर मैकनिक के कार्यो, खेतों आदि में कार्यरत हैं। बच्चों को काम के लिए दलालों के जरिये अन्य राज्यों से तस्करी कर लाया जा रहा है। हर जगह ये मासूम बच्चे काम करते दिख जायेंगे चाहे वे सरकारी कार्यालय हो या घरेलू उधोग ही क्यों ना हो।

आओ हम सब मिलकर बालश्रम को रोकने के लिए सरकार से **मांग करे कि तुरन्त बालश्रम को पूर्ण प्रतिबन्धित और कार्य स्थल को सील करने के लिए कानून बनाये और बाल श्रमिक परिवार के पुनर्वास हेतु एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। जिससे हर बच्चे को शिक्षा के सवैधानिक अधिकार को दिलायें ताकि सभी बच्चों के हाथ में किताबें हों ना कि औजार। देश की तरक्की में हाथ बढ़ाये।**

हम सब नागरिक मिलकर सोचे, और कुछ प्रभावशाली कदम उठायें। आसपास में कार्य कर रहे बच्चों को पहचानें, हमें सूचित करें और हमारे साथ जुड़कर बाल मजदूरी को खत्म करें। साथ ही सरकार को उनके पुनर्वास एवं शिक्षा के लिए बाध्य करें।

"सब कुछ रुक सकता है बचपन नहीं"

सम्पर्क सूत्र

जिला स्तर पर -

अध्यक्ष/सदस्य
यायपीठ बाल कल्याण समिति
कार्यलय: राजकीय किशोर गृह, ओड़िला रोड़, धौलपुर

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला बाल संरक्षण इकाई
कार्यालय : जिला मजिस्ट्रेट एवम् जिला कलक्टर, धौलपुर

राज्य स्तर पर -

निदेशक/आयुक्त
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर।

अध्यक्ष/सदस्य
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
2, जलपथ, राजकीय शिशु गृह गांधी नगर, जयपुर (राजस्थान)

निवेदक

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रयत्न संस्था, सरदार दारा सिंह नगर, पुलिस लाईन के पीछे, सैपऊ रोड, धौलपुर

आओं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय "बाल संरक्षण समिति" को समझें।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति क्या है?

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया हैं।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन कैसे?

पंचायत समिति (ब्लॉक) पर एक बैठक का आयोजन कर और उसमें ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण से संबंधित सभी पदाधिकारी/जनप्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्त्ता और स्कूलों में अध्यनरत बालक/बालिकाओं को शामिल करें। बच्चों के मुद्दों पर चर्चा करके प्रधान पंचायत समिति की उपस्थिति में पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जावे।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना क्या है ?

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य-सचिव
3.	अध्यक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (समस्त सरपंच)	सदस्य
4.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
5.	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	उप पुलिस अधीक्षक, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
8.	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा नामित	सदस्य
9.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
10.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
11.	समिति में समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों जैसे गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष/सचिव, सेवानिवृत्ति वकील/डॉक्टर/प्रधानाचार्य/अध्यापक इत्यादि का चयन संबंधित प्रधान, (जिसमें एक महिला अनिवार्य होगा) पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

इस समिति का कार्यकाल

- समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
- समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

बैठक के लिए कोरम

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हैं। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निणार्य लेने की शक्ति होगी। उक्त बैठक का यात्रा-भत्ता या मानदेय देय नहीं होगा ।

अध्यक्ष के कार्य

1. अध्यक्ष द्वारा प्रति माह एक बैठक तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठक आयोजित की जावेगी।
2. सचिव की अनुपस्थिति में सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना।
3. ग्राम पंचायत से प्राप्त बच्चों की समस्याओं पर चर्चा करना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करना।
4. बैठक में लिये गये निर्णय को ब्लॉक पंचायत मिटिंग में पारित करवाना और जिले में पहल करना।
5. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित मार्ग-निर्देशिका, परिपत्र, आदेश आदि की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाना और आवश्यक कार्यवाही करना।
6. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर सदस्यों को जागरूक कर कार्य विभाजन करना।
7. अन्य कार्य जो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए।

बैठक

1. प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक हैं। समिति की बैठक पंयायत समिति भवन या सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती हैं। बैठक में प्रत्येक सदस्यों को स्पष्ट एजेन्डे की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।
2. समिति के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैठक नोटिस जारी कर सकता हैं।
3. सचिव और सदस्य मिटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एंव एजेन्डे परिवर्तित नहीं करेगें।
4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता हैं जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।
5. बैठक में समिति के प्रत्येक सदस्यों की कम से कम दो घण्टे की बैठक लेनी आवश्यक हैं।
6. समिति की प्रत्येक बैठक की अवधि लम्बित कार्यों एंव प्रकरणों पर निर्भर हो।

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्य एवं भूमिका

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने पंचायतों से श्रेणीवार सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जिसमें कानून से संघर्षरत/कानून के सम्पर्क में आने वाले/देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी हैं और साथ ही बच्चों से सम्बन्धित यह सूचना से विभाग को समय-समय पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होगें:-

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहा है और इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंद्वित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.

आओ बाल कल्याण समिति को समझें।

बाल कल्याण समिति क्या है ?

बाल कल्याण समिति सभी बच्चों, विशेष रूप से देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार व अधिकृत न्यायपीठ है।

बाल कल्याण समिति का गठन की क्या प्रक्रिया है ?

बाल कल्याण समिति का गठन राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से बाल अधिकारिता विभाग (किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत) करवाता है।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन?

अनाथ, बेघर, परित्याग किये हुए, उपेक्षित, सड़क पर रहने वाले, स्ट्रीट चिल्ड्रन, भिक्षावृत्ति/बाल श्रम/बाल तस्करी में लिप्त, शारीरिक/मानसिक/यौन शोषण से पीड़ित, वैश्यावृत्ति में लिप्त बच्चे, रेलवे चिल्ड्रन, गुमशुदा बच्चे, घर से भागे बच्चे, कचरा बीनने वाले आदि प्रकार के बच्चों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है।

बाल कल्याण समिति की संरचना क्या है ?

बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते है, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अति-आवश्यक है। ये सभी समाज के जागरूक नागरिक (सामाजिक कार्यकर्त्ता) होते है।

बाल कल्याण समिति को हम किस रुप में देखे ?

बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण के व जरूरतमंद बच्चों की न्यायपीठ के रूप में देखते है।

बाल कल्याण समिति में कौन-कौन आ सकते है ?

समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है, जो कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल संरक्षण, समाज कल्याण, विधि या मानव विकास क्षेत्र का अनुभव रखता हो।

बाल कल्याण समिति का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

बाल कल्याण समिति का एक कार्यकाल 3 वर्ष होता है और किसी भी सदस्य को समिति में लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं रखा जा सकता है।

बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ क्या है ?

बाल कल्याण समिति को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रदत्त शक्तियाँ दी गईं हैं ताकि देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए।

बाल कल्याण समिति बच्चों के लिए क्या कर सकती है ?

बाल कल्याण समिति देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई/स्थाई पुनर्वास, संरक्षण, सुरक्षा, उपचार, विकास के अवसर एवं मनोरंजनात्मक कार्य करवाते हुए बच्चों में बाल मैत्री वातावरण को बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के समस्त प्रकार के मामलों पर निर्णय, जाँच, निरीक्षण व निगरानी करने की शक्तियाँ प्राप्त है।

बाल कल्याण समिति के पास बच्चे को कौन पेश कर सकता है ?

समिति के समक्ष बच्चों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, कोई भी लोक सेवक, मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्त्ता, किसी भी हॉस्पिटल का अधिकारी/कर्मचारी और स्वयं बच्चा भी समिति के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है।

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहा है और इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंद्वित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.

आओ मानव तस्करी को समझें।

मानव तस्करी क्या है ?

जब किसी मनुष्य को बिना बताये या बंधक बनाकर या लालच देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते है, तो उसे मानव तस्करी कहते है।

मानव तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने क्या किया है ?

मानव तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2015 में मानव तस्करी विरोधी यूनिट का प्रत्येक जिले में गठन किया गया है।

मानव तस्करी की रोकथाम के लिए गठित कमेटी का पूरा नाम क्या है ?

मानव तस्करी विरोधी यूनिट का पूरा नाम ''मानव तस्करी विरोधी यूनिट व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ'' रखा गया है।

मानव तस्करी विरोधी यूनिट की संरचना क्या है ?

मानव तस्करी विरोधी यूनिट में 1 पुलिस निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 2 हैड़ कानि. एवं 6 कानि. मय ड्राईवर के रूप में कार्यरत होंगे।

मानव तस्करी यूनिट का कार्यालय कहां पर होना चाहिए ?

मानव तस्करी विरोधी यूनिट का कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय परिसर में खोल जावेगा। यदि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जगह की कमी हो तो पुलिस नियन्त्रण कक्ष या पुलिस लाईन में खोला जावे।

मानव तस्करी विरोधी यूनिट के क्या–क्या कार्य होंगे ?

1. इस मानव तस्करी विरोधी यूनिट व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ का कार्य जिले में मानव तस्करी या बाल तस्करी किये जा रहे व्यक्ति या बालक के गिरोह का पता लगाना और उनको मुक्त करवाना। इसके अलावा इस यूनिट का यह भी कार्य होगा कि जो जिले में गुमशुदा व्यक्ति या गुमशुदा बच्चों का पता लगाना।

2. मानव तस्करी विरोधी यूनिट व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ मानव तस्करी से संबंधित निम्न विषयों पर भी कार्यवाही करेंगे :- लडाई-झगड़े, किड्नेपिंग, भगवाई, बाल श्रम, बाल भिक्षावृति, यौन हिंसा, अनैतिक व्यापार, बंधुआ श्रम, मानव अंग प्रतिरोपण, बाल विवाह, लैंगिक हमला, मनी लान्ड्रिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण, बच्चों के किसी भी प्रकार के अपराधों पर, अनुसंधान, सम्पूर्ण नेटवर्क पर, निगरानी, राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं से केस को सुलझाने में सहयोग के उद्देश्य से सम्पर्क करना, संगठित गिरोह का डाटाबेस (रेकार्ड रखना), पुनर्वास, पीड़ित प्रतिकार योजना का लाभ पीड़ित को दिलवाने में सहयोग आदि विषयों पर सहयोग करने के रूप में कार्य करेंगी।

मानव तस्करी विरोधी यूनिट बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के मुद्दों पर किन–किन की सहायता ले सकती है ?

मानव तस्करी विरोधी यूनिट व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि या बाल संरक्षण विशेषज्ञों/ कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेगी और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देगी।

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहां है और इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंद्वित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.

मानव तस्करी विरोधी यूनिट का नोड़ल अधिकारी कौन होगा ?

मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करेगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस यूनिट का जिला नोड़ल

बालकों के साथ हो रहे लैंगिक अपराधों को आओ मिलकर समझें।

बाल यौन हिंसा क्या है ?

कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उस बच्चे के साथ कोई वयस्क व्यक्ति गन्दे तरीके से छूता है या चूमता है या छेड़खानी करता है या उस बच्चें के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, इस प्रकार की हरकत को बाल यौन हिंसा कहा गया है।

शोषण कितने प्रकार के होते हैं ?

शोषण के सात प्रकार होते हैं : 1. मानसिक शोषण, 2. शरीरिक शोषण, 3. यौन शोषण, 4. बच्चों की उपेक्षा कर शोषण, 5. बच्चों का परित्याग कर शोषण, 6. परिवार में आपसी झगड़े से बच्चे का शोषण, 7. बच्चों से दबाव में करवाया गया कार्य शोषण।

बच्चे के साथ यौन हिंसा होने के पश्चात् उस बच्चे का स्वभाव कैसे हो जाता है ?

बच्चे के साथ यौन हिंसा होने के बाद बच्चा गुमशुम रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इससे बच्चा शरीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है।

बालक के साथ यौन हिंसा होने पर कौन–कौन सी बीमारी हो जाती है ?

बच्चे को यौन हिंसा से एच्. आई. वी. एड्स, हैपोटाईटस बी पॉजिवेटिव, कोमा जैसी बीमारी होने की संभावना बनी रहती है।

बच्चे का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ?

बच्चे का दुरूपयोग इस प्रकार किया जाता है कि 1. बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बना कर। 2. बच्चे के गुप्तांगों को छु कर 3. बच्चे को गन्दी फिल्म दिखाकर 4. बच्चे को गन्दे साहित्य एवं चित्र दिखा कर 5. गाली देकर 6. बच्चे का पीछा करके 7. गन्दे इशारे करके 8. बाल मजदूरी करवाकर 9. बाल तस्करी करके 10. भीक्षावृत्ति करवाकर 11. वैश्यावृत्ति में लिप्त करके आदि तरीकों से बच्चों का दुरूपयोग किया जा सकता है।

अगर किसी बच्चे के साथ यौन हिंसा की घटनाहो जाये तो क्या करना चाहिए ?

1. बच्चे के साथ यौन हिंसा हुई है, तो तुरन्त प्रभाव से थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करावों।
2. बच्चे की चिकित्सीय जाँच माता-पिता या जिस पर बच्चे का भरोसा हो या स्वयं संस्था के प्रतिनिधि के समक्ष कराये।
3. बालक एवं नियोक्ता दोनों एक दूसरे सामने नहीं रहें और बालक की पहुंच से नियोक्ता को दूर रखें।
4. बच्चे के 161 एवं 164 के बयान लेते समय माता-पिता या जिस पर बच्चे का भरोसा हो या स्वयं संस्था के प्रतिनिधि के समक्ष लेवें।
5. बच्चे के बयानों को ओडियो-विडियो एवं अभिलेख से किये जावें।
6. पीड़ित बालक को नि:शुल्क परामर्शदाता/भाषा अनुवादक उपलब्ध कराये जाते हैं।
7. पीड़ित बालक के केस को कोर्ट में लड़ने के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता/वकील उपलब्ध कराये जाते हैं।
8. बालक/बालिका को पीड़ित प्रतिकार योजना के अन्तर्गत 3 लाख रूपये की अनुदान सहायता राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलवाने में सहयोग करना चाहिए।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में नियोक्ताओं के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

1. बच्चे के साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति की जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है और कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन की सजा एवं आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
2. अगर किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे का उपयोग करके झूठा/मिथ्या केस दर्ज करवाया जाता है, और जाँच के पश्चात् यह पता लगता है कि बच्चे का उपयोग किया गया है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
3. पीड़ित बालक/बालिका की पहचान किसी भी तरीके से उजागर नहीं होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति बच्चे की पहचान प्रकट करता है, तो कम से कम 6 माह से 1 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
4. इस कानून में किसी को भी जमानत का प्रावधान नहीं है। सिर्फ ऐसी स्थिति में जमानत का प्रावधान है, जब किसी मीड़िया ने किसी बच्चे की पहचान उजागर कर दी हैं, तो ऐसी स्थिति में मीड़िया प्रतिनिधि की जमानत तो हो जायेगी परन्तु केस न्यायालय में चलता रहेगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उद्देश्य क्या है ?

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को लाने का उद्देश्य यह कि बालकोंके साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न/यौनाचार एवं अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करवाना।
2. यह अधिनियम बालक एवं बालिका दोनों को सुरक्षा

बालक को अपने बचाव में क्या करना चाहिए ?

1. किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई गन्दी तरीक से छूता है तो उस बालक को तुरन्त उस व्यक्ति के पास से भाग जाना चाहिए और बचाओ-बचाओं चिल्लाना चाहिए।
2. कोई भी व्यक्ति अगर किसे बच्चे को गन्दी तरीके से स्पर्श करता है, तो उस बालक को तुरन्त प्रभाव से उस व्यक्ति के बारे में अपने माता-पिता को बताना चाहिए।

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष / सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं

आओ बाल श्रम को समझें।

बाल श्रम क्या है ?

ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और इस आयु के बच्चों को धन उपार्जन के उद्देश्य से बच्चे की शिक्षा और विकास को रोका जा रहा हो (अवरोध आ रहा हो) उसे हम बाल श्रम कहते है।

जिला स्तर पर बाल श्रम की रोकथाम के क्या प्रयास हैं ?

जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय-समय पर बाल श्रम की रोकथाम हेतु मॉनीटरिंग विजिट की जाती है और नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बाल श्रम के संबंध में कानून क्या कहता है ?

1. सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है।
2. वहीं सरकार ने यह भी कर रखा है कि 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे काम तो कर सकते हैं, परन्तु जोखिम भरा कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है।
3. अगर नियोक्ता 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों से काम लेता है, तो वह कार्य उस बच्चे के व्यवसायिक प्रशिक्षण में आता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के रूप में नियोक्ता बालक से 2 घण्टे काम लेता है, तो नियोक्ता उस बालक को 2 घण्टे आराम करायेगा और फिर 2 घण्टे काम करायेगा।
4. नियोक्ता 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकतम 4 घण्टे से ज्यादा कार्य नहीं करा सकता है और नियोक्ता 4 घण्टे भी लगातार कार्य नहीं करवायेगा। नियोक्ता को उस 4 घण्टे के बीच में बालक को 2 घण्टे का आराम देना होगा, मगर जोखिम पूर्ण कार्य को प्रतिबंधित किया गया है।
5. 14 से 18 वर्ष तक की आयु का बाल जहां पर कार्य कर रहा है वहां नियोक्ता को बालक के लिए अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, पंखा, ठण्डे व गर्म पानी की व्यवस्था, बालक के लिए भोजन की व्यवस्था, बालक के आराम करने की व्यवस्था करनी होगी। अगर नियोक्ता ऐसा नहीं करता है, तो इस प्रकार का काम बाल श्रम की श्रेणी में आता है और नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
6. बाल श्रम (प्रतिबंधित एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ता को 3 वर्ष कारावास एवं 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दण्ड़ित किये जाने का प्रावधान है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत बाल श्रमिक किसे माना है ?

किशोर न्याय कानून में नियोक्ता के खिलाफ क्या प्रावधान है ?

1. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी करवाने वाले नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तो होगी ही परन्तु नियोक्ता की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।
2. बाल मजदूरी करवाने वाले नियोक्ता को नियमानुसार कम से कम 5 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

बाल श्रमिक कौन है ?

18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को ऐसे किसी

बाल कल्याण समिति का कार्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष / सदस्य कौन है ?

बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, ओड़िला रोड़, शारदा मानसिक एवं विमंदित स्कूल के पीछे, धौलपुर।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.
1.	श्री बिजेन्द्र सिंह परमार	अध्यक्ष	8619102745
2.	डॉ. नरेश शर्मा	सदस्य	7821023163
3.	श्री संजय शर्मा	सदस्य	9414878456
4.	श्री राजेश शर्मा	सदस्य	9667899405